संवैधानिक उपचार का अधिकार

अनुच्छेद 32. भाग-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार

1. *इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी है।*
2. *उच्चतम न्यायालय के पास इस भाग द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण, जो भी उपयुक्त हो, की प्रकृति की रिट सहित निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी।*
3. *खंड (1) और (2) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संसद कानून द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र की केंद्र सीमा के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खंड (2) के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे सकती है।*
4. *इस अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत अधिकार को तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके लिए संविधान द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया हो।*

उपचार के बिना अधिकार एक निरर्थक घोषणा है। मौलिक अधिकार खोखले शब्द होंगे यदि उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। डॉ बी.आर. अम्बेडकर ने इसे "संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा, जिसके बिना यह संविधान एक शून्य होगा। यह संविधान की आत्मा है और इसका हृदय है।"

यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों को लागू नहीं किया जा रहा है या लोक अधिकारियों द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, तो उसे उन्हें लागू करने या उपचारित करने का अधिकार होना चाहिए। उपचार का यह अधिकार अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदान किया गया है जो व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा, जो भी आवश्यक हो, की प्रकृति में रिट शामिल हैं। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संसद कानून द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर रिट की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे सकती है, हालांकि संसद ने अभी तक इसका सहारा नहीं लिया है। अंततः, संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधान के अनुसार संवैधानिक उपचार के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है।

विशेषाधिकार/परमाधिकार रिट

रिट जारी करने की अवधारणा यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। 'परमाधिकार रिट' वाक्यांश अंग्रेजी कॉमन विधि में से एक है जो असाधारण रिट कानूनी उपचार को संदर्भित करता है। समय के साथ ये रिट न्यायालय द्वारा एक एजेंसी के रूप में जारी की जाने लगीं जिसके माध्यम से संप्रभु ने अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया और ये परमाधिकार रिट उन मामलों में असाधारण उपचार के रूप

BYJU'S EXAM PREP

में जारी किए गए जहां या तो सामान्य कानून के अंतर्गत कोई उपचार उपलब्ध नहीं था या उपलब्ध उपचार अपर्याप्त था।

मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय

अनुच्छेद 32 के अनुसार, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी है। और यह उपचारात्मक अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिसे भाग III में शामिल किया गया है। परिणामस्वरूप, किसी व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में, संविधान पीड़ित व्यक्ति की याचिका को संलग्न करने और उसके लिए उपचारात्मक उपाय प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पर एक कर्तव्य निर्धारित करता है। अनुच्छेद 32, इसलिए, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक गारंटीकृत उपचार प्रदान करता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर बनाया गया है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय, इस तरह से निर्धारित उत्तरदायित्व के साथ, तकनीकी आधार पर, इस तरह के अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने से इनकार नहीं कर सकता है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय केवल इस आधार पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक रिट याचिका को अस्वीकार नहीं कर सकता है कि नागरिक के लिए एक वैकल्पिक कानूनी उपचार उपलब्ध है। **अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उपलब्ध है न कि अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के मामले में।** संविधान में रिट जारी करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है और इसे मामले की प्रकृति के अनुसार इस पर निर्णय लेने का अधिकार न्यायालयों पर छोड़ दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट के बीच अंतर

सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के अंतर्गत) केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के अंतर्गत) न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य क्षति या अवैधता के निवारण के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। इस प्रकार, एक तरह से उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय पर रिट जारी करने का कर्तव्य आरोपित करता है, जबकि अनुच्छेद 226 द्वारा उच्च न्यायालय पर ऐसा कोई कर्तव्य नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 226 के एक विवेकाधीन उपचार है और कोई उच्च न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इंकार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण देश तक विस्तृत है, जबकि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की क्षेत्रीय सीमाओं तक ही है, जहां तक उसका अधिकार क्षेत्र है।

रिट (Writs)

अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और अधिकार पृच्छा की प्रकृति के रिट शामिल हैं, जो भी संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त हो। रिट के पांच रूप इस प्रकार हैं:

1. **बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)**

यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा के हैबियस कार्पस (Habeas Corpus) का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है 'शरीर को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के जारी कराने के लिए न्यायालय में जा सकता है। यह गिरफ्तार/निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय सामने प्रस्तुत करने के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को न्यायालय द्वारा एक आदेश है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या व्यक्ति को कानूनी रूप से या अन्यथा हिरासत में लिया गया है। यदि न्यायालय को विश्वास हो जाता है कि व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, तो वह उसकी रिहाई के लिए आदेश जारी कर सकता है। रिट का केवल एक ही उद्देश्य है, किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता को स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना जिसे बिना किसी विधिक औचित्य हिरासत में लिया गया है। यह रिट राज्य और निजी व्यक्तियों या संगठनों दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। जहाँ इस रिट को केवल उस व्यक्ति द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, निरुद्ध किए गए व्यक्ति के मामले में यह आसानी से संभव नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका कैदी की ओर से उसके मित्र या सामाजिक कार्यकर्ता या यहां तक कि किसी अजनबी द्वारा भी प्रेषित किया जा सकता है। निवारक निरोध के मामलों में रिट दायर किया जा सकता है। यह किसी अन्य व्यक्ति से किसी बच्चे को अभिरक्षा में लेने के लिए कानूनी अभिभावक की सहायता के लिए भी जारी किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के आवेदन पर विचार करते हुए, उस व्यक्ति के शरीर को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है।

2. **परमादेश (Mandamus)**

परमादेश का अर्थ है "हम आज्ञा देते हैं"। परमादेश एक उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय या न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश है। सरल भाषा में, यह एक सरकारी अधिकारी को वह काम करने के लिए जारी किया गया एक रिट है जो उसके आधिकारिक कर्तव्य का एक हिस्सा है, लेकिन, वह अब तक करने में विफल रहा है। यह किसी ऐसे प्राधिकारी से कार्य करने की मांग करता है जिसने अपने विधिक कर्तव्य के अनुसार या तो कार्रवाई नहीं की है या कार्य करने से इनकार कर दिया है। इस रिट को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। इस तरह के रिट जारी करना अदालत की विवेकाधीन शक्ति है। परमादेश किसी लोक अधिकारी के विवेकाधीन कृत्यों के खिलाफ लागु नहीं होता है जो उसके कर्तव्य से अलग है। यह किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है जब तक कि उन्हें कोई सार्वजनिक कर्तव्य नहीं सौंपा जाता है। इसे राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा न्यायिक क्षमता में कार्य करने वाले न्यायाधीशों के विरुद्ध भी जारी नहीं की जा सकती है।

3. **प्रतिषेध (Prohibition)**

प्रतिषेध रिट का अर्थ है मना करना या रोकना और इसे लोकप्रिय रूप से 'स्टे ऑर्डर' के रूप में जाना जाता है। यह किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण को अपने

अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से मना करने वाली एक रिट है। इस रिट के जारी होने के बाद निम्नतर न्यायालय में कार्यवाही रुक जाती है। इसका उद्देश्य अवर न्यायालयों या अर्ध-न्यायिक निकायों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर रखना है। इस प्रकार, प्रतिषेध रिट उन लोक अधिकारीयों के खिलाफ उपलब्ध नहीं है जिन्हें न्यायिक या अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ नहीं सौंपी गई है। इसे निजी व्यक्तियों या संघों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। रिट तभी जारी की जा सकती है जब किसी मामले की कार्यवाही चल रही हो। यह विधायी या कार्यकारी कार्यों के खिलाफ नहीं है। यदि न्यायालय या न्यायाधिकरण ने अंतिम आदेश पारित किया है, तो प्रतिषेध रिट जारी नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय यह रिट केवल तभी जारी कर सकता है जब किसी के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। परमादेश और प्रतिषेध के बीच अंतर यह है कि जहां परमादेश न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, वहीं प्रतिषेध केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। जहाँ परमादेश की रिट किसी कार्य को करने का आदेश देती है अर्थात विशेष कार्य करने का आदेश देता है, वहीँ प्रतिषेध का रिट अनिवार्य रूप से किसी अधीनस्थ न्यायालय किसी कार्य को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।

4. **उत्प्रेषण (Certiorari)**

वस्तुतः, उत्प्रेषण (सर्टिओरीरी) का अर्थ है 'प्रमाणित होना'। उत्प्रेषण की रिट किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा किसी अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण को मामले को उचित विचार के लिए या किसी अन्य प्राधिकारी को स्थानांतरित करने के लिए जारी किया जाता है। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत द्वारा पहले से पारित आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की रिट जारी की जा सकती है। इस रिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी अवर न्यायालय या ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र का उचित रूप से प्रयोग किया गया है और इसने उस अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया लेता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उत्प्रेषण के रिट जारी करने के लिए कई शर्तें आवश्यक हैं, जो इस प्रकार हैं:

- न्यायिक रूप से कार्य करने के कर्तव्य के साथ मौलिक अधिकारों को निर्धारित करने के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए न्यायालय, न्यायाधिकरण या कानूनी अधिकार रखने वाला एक अधिकारी होना चाहिए।
- ऐसे न्यायालय, न्यायाधिकरण या अधिकारी ने ऐसे न्यायालय, न्यायाधिकरण या कानून में अधिकारिता के बिना या कानून द्वारा निहित न्यायिक अधिकार से परे कोई आदेश पारित किया हो। आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध भी हो सकता है, या इसमें मामले के तथ्यों को समझने में निर्णय की त्रुटि हो सकती है।

एक उच्च न्यायालय प्रशासनिक क्षमता में अपने खिलाफ उत्प्रेषण जारी कर सकता है लेकिन न्यायिक क्षमता में नहीं। यह किसी अन्य उच्च न्यायालय या उसी उच्च न्यायालय की किसी अन्य पीठ को रिट जारी नहीं कर सकता है। जहाँ किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्रतिषेध का रिट जारी की जा सकती है, वहीँ उत्प्रेषण की रिट आदेश या निर्णय की घोषणा के बाद ही जारी की जा सकती है, दूसरे शब्दों में, प्रतिषेध की रिट पहले चरण में उपलब्ध होता है, और उत्प्रेषण समान आधार

BYJU'S EXAM PREP

पर बाद के चरण में उपलब्ध होता है। इस प्रकार, उत्प्रेषण और प्रतिषेध किसी अवर न्यायालय या ट्रिब्यूनल को नियंत्रित करने के साधन हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किए हों या गलत तरीके से अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किए हों। दूसरी ओर, परमादेश एक अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण के खिलाफ जारी किया जाता है जिसने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया हो। साथ ही, प्रतिषेध का उद्देश्य रोकथाम है, जबकि उत्प्रेषण का उद्देश्य रोकथाम और इलाज दोनों है।

5. **अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)**

अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) शब्द का शाब्दिक अर्थ है "किस अधिकार के अंतर्गत?" इस प्रकार की रिट यह सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है कि सार्वजनिक पद धारण करने वाला व्यक्ति पद धारण करने के योग्य है या नहीं। यह किसी सार्वजनिक पद में कार्य करने से रोकने के लिए जारी एक रिट है जिसका वह अधिकारी नहीं है। किसी भी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा करने या किसी के द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय को हड़पने से रोकने के लिए अधिकार पृच्छा (क्व-वारंटो) के रिट का उपयोग किया जाता है। अधिकार पृच्छा की कार्यवाही का मूल आधार यह है कि सार्वजनिक कार्यालय में यह देखना होता है कि कोई गैर कानूनी दावेदार किसी सार्वजनिक पद पर कब्जा न कर ले। उदाहरण के लिए, एक सार्वजनिक पद को भरने के लिए 62 वर्ष के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है जबकि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। अब उपयुक्त उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार पृच्छा का रिट जारी करे और पद को रिक्त घोषित करे।

जनहित याचिका (पीआईएल)

अनुच्छेद 32 या उस मामले के लिए किसी अन्य अनुच्छेद की शर्त सामान्य तौर पर यह है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय में जा सकता है। लेकिन इस शर्त में ढील दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय में जा सकता है, यदि यह सामाजिक या जनहित का है। इसे जनहित याचिका (PIL) कहा जाता है। जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी नागरिक या नागरिकों का समूह किसी विशेष कानून या सरकार की कार्रवाई के खिलाफ जनहित की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। जजों को पोस्टकार्ड पर भी लिख सकते हैं। यदि न्यायाधीश इसे जनहित में पाते हैं तो न्यायालय मामले पर विचार करेगा।